संख्या–327/एक–13–2016–रा0–13

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0।

4– समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–13 लखनऊ : दिनांक : 12 मई, 2016

विषयः–राजकीय विभागों/राज्य के स्वायत्तशासी निकायों/विकास प्राधिकरणों द्वारा बिना विधिक रूप से अर्जित/क्रय की गयी निजी भूमि के प्रतिकर के भुगतान की प्रक्रिया।

महोदय,

राजस्व अनुभाग–13 के शासनादेश संख्या–244/1–13/89–रा–13, दिनांक 07–मार्च, 1989, शासनादेश संख्या–1433/1–13–2004–1(50)/2004, दिनांक 03–9–2004, शासनादेश संख्या–895/1–13–2005–1(50)/2004 टी0सी0–1–13, दिनांक 10–6–2005 एवं शासनादेश संख्या–डब्लू–128/एक–13–2013–10ज(64)/13, दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा यह आदेश जारी किये गये है कि शासन के विभिन्न विभागों/अधिकारियों राज्य के स्वायत्तशासी निकायों/विकास प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न संवैधानिक अधिदेशों, सांविधिक प्राविधानों, सुसंगत अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्णकर निजी भूमि का विधिवत् अधिग्रहण कर संबंधित भू–स्वामी/हितबद्ध को प्रतिकर का भुगतान कर भूमि पर कब्जा लिया जाय।

2– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष योजित रिट याचिका स0–19009/2016मनोज कुमार(इलाहाबाद) बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–18764/2016 पूरन चन्द्र(आगरा) बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष यह तथ्य लाया गया कि प्रश्नगत मामलों में याचीगणों की भूमि का बिना समुचित अधिग्रहण/क्रय किये और भूमि के प्रतिकर का भुगतान किये,भूमि पर कब्जा ले लिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए दिनांक 27–4–2016 को यह आदेश दिये कि मुख्य सचिव, उत्तर

प्रदेश मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और यह अवगत कराये कि इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाहियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये और इस हेतु समुचित सुझाव मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। मा0 न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–19009/2016ननोज़ कुमार(इलाहाबाद) बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27–4–2016 का सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

" What is more surprising is that several writ petitions, making similar allegations against various Development Authorities functioning within the State and the instrumentalities of the State and government departments, are filed every day. Reference may be made to three writ petitions making identical allegations, which have come up today i.e. Writ Petition No.18753 of 2016, Writ Petition No.18764 of 2016 & Writ Petition No.18824 of 2016. Whenever the cause is pressed in individual case normally the State or its instrumentalities come up with an offer of compensation to the petitioner and on receiving the money, normally the petitioners choose not to proceed any further with the writ petition. But, that is not the solution to the problem. There may be many more cases where affected persons may not be able to approach this Court. The need of the time is to curb this tendency being practiced by various departments of the State Government like the Public Works Department, Irrigation Department as well as the Development Authorities and other instrumentalities of the State.

In the circumstances, we deem it fit to require the Chief Secretary of the State to appear before us to assist as to what steps can be taken to curb this illegal practice being followed throughout the State blatantly. The Chief Secretary shall appear in person before this Court along with his suggestions on 17.5.2016. In the meantime, the learned counsel, who has accepted notice on behalf of the Development Authority, shall

also seek instructions in the matter: List on 17.5.2016. Learned Standing Counsel shall communicate this"

3— इस प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:—

(1) सभी जनपदों में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में निम्नवत् " भू-प्रतिकर से संबंधित जन समस्याओं के निवारण हेतु जिला समिति" गठित की जाती है:—

1—	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	अध्यक्ष
2—	लोक निर्माण विभाग के जनपद स्थित कार्यालय में तैनात वरिष्ठ अधिशासी अभियंता	सदस्य
3—	सिंचाई विभाग के जनपद स्थित कार्यालय में तैनात वरिष्ठ अधिशासी अभियंता	सदस्य
4—	जिला पंचायत के अधिशासी अधिकारी/अपर अधिशासी अधिकारी जैसी भी स्थिति हो	सदस्य
5—	जनपद स्थित विकास प्राधिकरण के सचिव	सदस्य
6—	संबंधित निकाय/विभाग जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है के प्राधिकृत अधिकारी	सदस्य
7—	उपजिलाधिकारी, सदर	सदस्य सचिव

(2) किसी व्यक्ति से ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर कि उसकी भूमि का विधिवत् अधिग्रहण/क्रय किये बिना और बिना प्रतिकर का भुगतान किये विभाग द्वारा कब्जा ले लिया गया है, तो समिति द्वारा ऐसी शिकायतों की जांच कर शिकायत प्राप्त होने के 02 माह के अन्दर विस्तृत रिपोर्ट संस्तुति सहित संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(3) संबंधित जिलाधिकारी द्वारा समिति की रिपोर्ट पर विचार कर एक स्वतः स्पष्ट सकारण आदेश से प्रकरण का निस्तारण, समिति से रिपोर्ट प्राप्ति के एक माह के अंदर कर दिया जायेगा और इसकी सूचना शिकायतकर्ता, निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेज दी जायेगी। जिलाधिकारी के निस्तारण के कम में संबंधित पक्षों द्वारा अग्रेतर कार्ययाही की जायेगी।

(4) सदस्य सचिव द्वारा समिति की बैठकों की बैठकों की कार्ययाहियों का संचालन किया जायेगा और बैठक की कार्ययाही लेखन व रिपोर्ट आदि तैयार करने की कार्ययाही की जायेगी।

प्रारूप–1

राजकीय विभागों/राज्य के स्वायत्त शासी निकायों/विकास प्राधिकरणों द्वारा बिना विधिक रूप से अर्जित/क्रय की गयी निजी भूमि के प्रतिकर के भुगतान से संबंधित **प्रकरणों की मासिक रिपोर्ट।**

जनपद का नाम——

माह

क्रमांक	माह के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग (2+3)	माह में निस्तारित शिकायतों की संख्या	माह के अंत में अवशेष शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6

प्रारूप–2

राजकीय विभागों/राज्य के स्वायत्त शासी निकायों/विकास प्राधिकरणों द्वारा बिना विधिक रूप से अर्जित/क्रय की गयी निजी भूमि के प्रतिकर के भुगतान से संबंधित प्रकरणों की मासिक रिपोर्ट।

माह

क्रमांक	जनपद का नाम	माह के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग (3+4)	माह में निस्तारित शिकायतों की संख्या	माह के अंत में अवशेष शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1						
75						
सम्पूर्ण प्रदेश का योग						

4– जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह इस प्रकार के प्राप्त मामलों/शिकायतों और उनके निस्तारण की मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप–1 पर निदेशक, भूमि अध्यापित, राजस्व परिषद को अगले की माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, भूमि अध्यापित राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनउ द्वारा पूरे प्रदेश की संकलित सूचना प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रारूप–2 पर शासन के राजस्व विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या– 327 (1)/एक–13–2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
4–अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।